अध्याय II

हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण)

अध्याय II
हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण[1])

2.1 परिचय

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 3 अप्रैल 2000 के उसके आदेश में प्रतिपूरक वनीकरण का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर्यावरण और वन मंत्रालय पर तय करते हुए कहा कि मंत्रालय वन मंजूरी देते समय निर्धारित शर्तों की निगरानी करेगा।

9 मई 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशक्त समिति के गठन का आदेश दिया, जिसके सुस्पष्ट कार्यों में कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी, अनुपालना न होने के मामले जिनमें अतिक्रमण, कार्य-योजनाओं का कार्यान्वयन, प्रतिपूरक वनीकरण, वृक्षारोपण व अन्य संरक्षण मुद्दों से सम्बंधित मुद्दे शामिल थे, को देखना था। नवंबर 2001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु जमा निधियों का समुचित उपयोग नहीं किया गया एवं यह भी पाया गया राज्य सरकारों ने प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण की बड़ी राशि की वसूली नहीं की। केंद्रीय सशक्त समिति ने इस मुद्दे की जांच की जिसमें पाया गया कि कुछ राज्यों में निधियां प्रयोक्ता एजेंसी ने 'वन निक्षेप' के रूप में जमा की, जिससे वह संबंधित मण्डलों को वनीकरण हेतु आसानी से उपलब्ध हो गई। कुछ अन्य राज्यों में निधियां राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में जमा की जाती थी, जिन्हें केवल बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वन विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता था। इसलिए यह सिफारिश की गई कि जब तक बजटीय प्रावधानों के माध्यम से निधियां जारी करने की प्रणाली बदली नहीं जाती, तब तक प्रतिपूरक वनीकरण की गति व गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की जा सकती। अतएव प्रतिपूरक वनीकरण हेतु पृथक कोष का सृजन वांछनीय था, जिसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाए एवं बाद में यथा-आवश्यक सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाए। किसी राज्य विशेष से प्राप्त निधियों का उपयोग उसी राज्य में किया जाएगा। यह प्रणाली योजनाबद्ध तरीके से सतत आधार पर प्रतिपूरक वनीकरण करने में सहयोग देगी।

केंद्रीय सशक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 2002 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक 'प्रतिपूरक वनीकरण कोष' सृजित करने का निर्देश दिया जिसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र शोधन योजना निधि इत्यादि हेतु प्राप्त

---

[1] जुलाई 2009 की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में इसे राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कहा जाता था और वर्तमान में फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार इसका नाम राज्य प्राधिकरण रखा गया है।

समस्त धनराशि जमा की जानी थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए वसूली योग्य निधियां, साथ ही राज्यों के पास रखी अप्रयुक्त निधियों को ऐसे कोष में स्थानांतरित करने पर भी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सहमति थी। यह निधि संघ, राज्यों के सामान्य राजस्व या भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होगी। इसमें प्रतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन हेतु एक निकाय का प्रस्ताव भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रयोक्ता एजेंसी वनेत्तर उद्देश्यार्थ अपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के शुद्ध मूल्य का भी भुगतान करेगी। इस निधि का उपयोग सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण व अन्य संबद्ध गतिविधियों हेतु किया जाना था। इसके अतिरिक्त निधियों के प्रभावी व उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष के माध्यम से समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन की एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित एवं कार्यान्वित की जानी थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक पृथक कोष व कोष के प्रबंधन हेतु एक निकाय बनाने का आदेश दिया, अतः अगस्त 2009 में राज्य वन विभाग की समग्र देखरेख में इस निधि के प्रबंधन के लिए एक अलग ढांचे का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वनों के अपवर्तन के समस्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

तालिका 2.1: तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण/ राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण/राष्ट्रीय प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण से सम्बंधित वृत्तांतों का तथ्य पत्रक (फैक्ट शीट)

दिनांक	वृत्तांत
29 अक्तूबर 2002	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि एक 'प्रतिपूरक वनीकरण कोष' का सृजन किया जाए, जिसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, अपवर्तित वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र शोधन योजना कोष इत्यादि से प्राप्त समस्त धनराशि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जमा की जाए।
23 अप्रैल 2004	पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण को अधिसूचित किया।
5 मई 2006	भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ-प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण[2] का गठन किया।
13 मार्च 2007	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (संशोधन) अधिसूचना में परिकल्पना की गई कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में कॉर्पोरेट लेखा आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली हो एवं उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं

[2] प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण' की ओर से वसूली गई समस्त धनराशि, जो राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास रखी थी, के कोष के रूप में कार्य करने एवं प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के आरम्भ होने तक इसके उपयोग की प्रभावी जांच व संतुलन स्थापित करने के लिए एक तदर्थ निकाय का गठन किया गया।

दिनांक	वृत्तांत
	महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए।
10 जुलाई 2009	भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
15 जुलाई 2009	सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण दिशानिर्देश परिचालित किए गए।
3 अगस्त 2009	हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का गठन किया।
3 अगस्त 2016	प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया जिसके माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष (राष्ट्रीय कोष) व एक राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण) का गठन किया गया।
10 अगस्त 2018	केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 2018 बनाए।
2 फरवरी 2019	प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण) गठित किया गया। राज्य लोक लेखा के सब्याज प्रभाग के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (राज्य कोष) की भी स्थापना की गई। इस राज्य कोष का प्रबंधन राज्य प्राधिकरण करता है।

स्रोत: वन संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के गठन का कालक्रम

2.1.1 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा

अप्रैल 2004 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रतिपूरक वनीकरण निधियों के प्रबंधानार्थ प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन व योजना प्राधिकरण अधिसूचित किया। मई 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के प्रारंभ होने तक की मध्यवर्ती अवधि हेतु तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन व योजना प्राधिकरण का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगस्त 2009 में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण का गठन किया तथा उक्त निकाय द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियां की जा रही थीं। उक्त प्राधिकरण राज्य वन विभाग के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था।

संसद ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के रूप में एक नया अधिनियम पारित किया। फरवरी 2019 में प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण[3]) का गठन किया गया। वर्ष 2019 में राज्य लोक लेखा के सब्याज प्रभाग के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (राज्य कोष) की भी स्थापना की गई। इस राज्य कोष का प्रबंधन राज्य प्राधिकरण करता है। राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक अधिकारी,

3 पूर्व में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण

जो मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो, को नियुक्त किया जाता है। राज्य प्राधिकरण एक त्रिस्तरीय संरचना है जो एक शासी निकाय, एक संचालन समिति एवं एक कार्यकारी समिति के माध्यम से कार्य करता है, जैसाकि **चार्ट 2.1** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: राज्य प्राधिकरण की संरचना

शासी निकाय

- **मुख्यमंत्री** की अध्यक्षता में कार्य करता है। सदस्यों में वन मंत्री, मुख्य सचिव, पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान व प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव वार्डन, वन विभाग के सचिव व राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं।
- राज्य प्राधिकरण के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा तैयार करता है और समय-समय पर इसके कामकाज की समीक्षा करता है।
- फ़रवरी 2019 से प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार बैठक रखता है।

संचालन समिति

- **मुख्य सचिव** की अध्यक्षता में कार्य करता है। सदस्यों में पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान व प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव वार्डन, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख, राज्य वन विकास एजेंसी के नोडल अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नामित एक विशेषज्ञ और राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं।
- नियमों व प्रक्रियाओं को मंजूरी देता है, निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी करता है, और वार्षिक संचालन योजना, रिपोर्ट व लेखाओं को मंजूरी देता है।
- फ़रवरी 2019 से प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक रखता है। पहले यह छः माह में एक बार रखी जाती थी।

कार्यकारी समिति

- **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** की अध्यक्षता में कार्य करता है। सदस्यों में मुख्य वन्यजीव वार्डन, वन व वन्यजीव योजनाओं एवं वानिकी अनुसंधान से संबंधित मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन विकास एजेंसी के नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के एक प्रतिनिधि, वित्तीय सलाहकार, दो गैर-सरकारी संगठन, जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थानों के दो सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं।
- जांच समिति के अनुमोदनार्थ वार्षिक संचालन योजना तैयार कर प्रस्तुत करता है, कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, जांच समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है।
- फ़रवरी 2019 से प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक रखता है।

स्त्रोत: प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अधिनियम के तहत राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से संचालन समिति व कार्यकारी समिति के

कार्यों के निष्पादन में उसकी सहायता हेतु सहायक वन संरक्षक व अन्य अधिकारी-स्तर पर राज्य प्राधिकरण में पद सृजित कर सकता है। राज्य प्राधिकरण के सृजनोपरांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद प्रस्तावित किए गए एवं उन्हें राज्य वन विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा गया।

विभागाध्यक्ष के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख सभी वन मामलों को नियंत्रित करता है एवं वनों के प्रशासन व कामकाज पर यथा-आवश्यक निर्देश जारी करता है। वह राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। उसके अधीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष व योजना प्राधिकरण) प्रतिपूरक वनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.1.2 प्रतिपूरक वनीकरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) की भूमिका

वनेत्तर प्रयोजनार्थ वनों के अपवर्तन के उद्देश्य वाली प्रयोक्ता एजेंसी का पहला संपर्क बिंदु राज्य वन विभाग का अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) होता है। सभी प्रस्ताव अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) को प्राप्त होते हैं, जिसे प्रयोक्ता एजेंसियों का नोडल अधिकारी भी कहा जाता है। वह जानकारी की पूर्णता सुनिश्चित करने के उपरांत प्रस्ताव संबंधित वन मंडलाधिकारी को भेजता है। वन मंडलाधिकारी परियोजना विशिष्ट रिपोर्ट तैयार कर नोडल अधिकारी को भेजता है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोक्ता एजेंसी पर प्रभारित प्रतिपूरक वनीकरण करने एवं उसके रखरखाव की लागत भी समाविष्ट होती है। यह रिपोर्ट नोडल अधिकारी राज्य सरकार को भेजता है, जो इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भेजती है।

केंद्र सरकार दो चरणों में अनुमोदन देती है। परियोजना की अनिवार्यता से संतुष्ट होने पर केन्द्र सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को चरण-I अनुमोदन (सैद्धांतिक अनुमोदन) देती है। इस अनुमोदन के पश्चात प्रयोक्ता एजेंसी संबंधित वन मंडलाधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार अपेक्षित निधियां राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में जमा करता है एवं नोडल अधिकारी को साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तदोपरांत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में राज्य सरकार के प्रमाणपत्र के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार चरण-II अनुमोदन (अंतिम अनुमोदन) प्रदान करती है।

वन मण्डल में प्राप्त चरण-II अनुमोदनों के आधार पर राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण एक विस्तृत वार्षिक संचालन योजना तैयार करती है। यह सभी आगामी

कार्यवाहियों का आधार बनती है। इस प्रकार अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) तब सामने आता है जब किसी परियोजना हेतु अंतिम अनुमोदन मिल जाता है एवं धन पहले ही राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के पास जमा हो जाता है।

2.1.3 प्रतिपूरक वनीकरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) की भूमिका

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण, जिसे अब राज्य प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है, का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) होता है। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण मुख्यतः कोष प्रबंधन प्राधिकरण है। वास्तविक कार्य कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नामित वन विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा किए जाते हैं। संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण को निधियां जारी करता है।

मण्डल में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के आधार पर संबंधित मण्डल एक वार्षिक संचालन योजना तैयार करता है जिसे सर्कल को भेजा जाता है। वार्षिक संचालन योजना का अर्थ राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भौतिक गतिविधियों एवं वित्तीय प्रावधानों की वार्षिक योजना से है। वार्षिक संचालन योजना में वित्तीय वर्ष के दौरान वनेत्तर प्रयोजनार्थ वन भूमि अपवर्तन के अनुमोदित वन संरक्षण अधिनियम मामलों में निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र शोधन योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं की साइट स्पेसिफिक योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव शामिल होते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण कार्यों में एएनआर/आरडीएफ कार्य[4], ब्लॉक वृक्षारोपण, अग्रिम कार्य, नर्सरी विकास, मृदा संरक्षण कार्य, पुराने वृक्षारोपण का रखरखाव व आकस्मिकताएं शामिल हैं। सभी मण्डलों की वार्षिक संचालन योजना को संबंधित सर्किलों में समेकित किया जाता है, जिसे राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति के समक्ष समेकित वार्षिक संचालन योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संचालन समिति के अनुमोदनोपरांत वार्षिक संचालन योजना को धन की मांग के रूप में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में भेजा जाता है, जो राज्य प्राधिकरण को निधियां जारी करता है। तदोपरांत राज्य प्राधिकरण उसकी क्षेत्रीय इकाइयों/वन मण्डलों के माध्यम से प्रतिपूरक गतिविधियों हेतु वार्षिक संचालन योजना के सापेक्ष प्राप्त निधियों का उपयोग करता है।

---

[4] अवक्रमित वनों में सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन/पुनर्वास

2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.1 समितियों की बैठकों में कमी

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण की 2009 की पुनर्गठन की अधिसूचना एवं फरवरी 2019 में राज्य प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2016-22 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान शासी निकाय की छः बैठकों[5] का आयोजन अपेक्षित था; हालांकि शासी निकाय की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। इसी भांति इस अवधि में संचालन समिति द्वारा की जाने वाली निर्धारित 17 बैठकों[6] के प्रति केवल आठ बैठकें[7] आयोजित की गईं। इसी अवधि के दौरान कार्यकारी समिति हेतु अपेक्षित न्यूनतम 12 बैठकों के सापेक्ष सात बैठकें आयोजित की गईं। समितियों के परिकल्पनानुसार बैठक नहीं करने से प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण गतिविधियों की दक्षता की निगरानी नहीं की जा सकी एवं उनमें कमियां रहीं, जैसाकि आगे इस प्रतिवेदन में बताया गया है। इसके अतिरिक्त क्योंकि संचालन समिति व कार्यकारी समिति की बैठकों एवं कार्यसूची से संबंधित फाइलें लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गईं, इसलिए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी में इन समितियों की दक्षता का आकलन नहीं किया जा सका।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (हिमाचल प्रदेश सरकार) के **परिच्छेद 2.1.6.1** व **2.1.12.1** में क्रमशः शासी निकाय की बैठकें आयोजित न करने एवं संचालन समिति की बैठकें निर्धारित संख्या में आयोजित न करने का मुद्दा भी उठाया गया था। अगस्त 2019 में प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए लोक लेखा समिति ने शासी निकाय व संचालन समिति की निर्धारित संख्या में बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित कदम के विषय में जानना चाहा। तथापि देखा गया कि लेखापरीक्षा में सम्मिलित अवधि के दौरान संचालन समिति की बैठकों में कमी बनी रही, जबकि शासी निकाय की बैठकें बिल्कुल भी आयोजित नहीं की गईं।

विभाग ने समितियों की बैठकों में कमी के कारण प्रस्तुत नहीं किए (नवंबर 2023)।

2.2.2 राज्य प्राधिकरण की वित्तीय प्रास्थिति

फरवरी 2019 में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (राज्य कोष) की स्थापना के पूर्व **(तालिका 2.1)**, प्रचलन के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण प्रभार, निवल वर्तमान मूल्य व

---

5 फरवरी 2019 से पहले बैठकों की संख्या तय नहीं थी। इसलिए उस अवधि के लिए कोई लक्ष्य नहीं माना गया।

6 फरवरी 2019 से पहले वर्ष में दो बैठकें; उसके बाद हर वर्ष चार बैठकें।

7 केवल वर्ष 2017-18 व 2021-22 के दौरान संचालन समिति की बैठक दो बार हुई; अन्य वर्षों में एक बार ही हुई।

अतिरिक्त प्रभार (विभागीय शुल्क को छोड़कर जो राज्य सरकार के पास जमा किए जाने हैं) सहित प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजी गई, जो वार्षिक संचालन योजना[8] के आधार पर राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण (जिसे अब राज्य प्राधिकरण कहा जाता है) को भेजी जाती थी। राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि के बाद भी यही प्रचलन जारी रहा, जिस पर **परिच्छेद 2.3.1** में अलग से टिप्पणी की गई है।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि हेतु राज्य प्राधिकरण की समग्र वित्तीय स्थिति **तालिका 2.2** में नीचे दी गई है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान राज्य प्राधिकरण द्वारा वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगी गई निधियां, राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त निधियां व कार्यान्वयन एजेंसियों[9] को जारी निधियों के सापेक्ष उनके उपयोग का वर्ष-वार विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: वर्ष 2016-22 हेतु वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगी गई एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त निधियों के बजट आवंटन का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगी गई निधियां	राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना की राशि	अथ शेष	राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त राशि	कुल निधियां	जारी की गई व वन मण्डलों द्वारा उपयोग की गई निधियां	शेष निधियां (राज्य प्राधिकरण)
2016-17	137.73	136.88	14.16	132.82	146.98	128.48	18.50
2017-18	133.94	124.80	18.50	120.00	138.5	109.01	29.49
2018-19	128.72	127.72	29.49	133.32[10]	162.81	121.76	41.05
2019-20	156.91	145.82	41.05	1,660.72[11]	1,752.03[12]	88.48	1,660.72

---

8 वार्षिक संचालन योजना चार भागों में बनाई जाती है:
वार्षिक संचालन योजना के **भाग-I** में राज्य के वनों व वानिकी प्रभाग का संक्षिप्त विवरण शामिल होता है।
वार्षिक संचालन योजना के **भाग-II** में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदित प्रस्तावों के साथ-साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र शोधन योजना व किसी अन्य साइट-स्पेसिफिक योजना हेतु की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं।
भाग-III निवल वर्तमान मूल्य व ब्याज घटक से की जाने वाली गतिविधियों से सम्बंधित है।
भाग-IV में अनुमानित लागत के साथ प्रत्येक गतिविधि के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य है।

9 सर्कल व मंडल

10 वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 127.72 करोड़ की अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना के सापेक्ष तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण द्वारा ₹ 133.32 करोड़ की राशि जारी की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
अ) वर्तमान वर्ष अर्थात 2018-19 के सापेक्ष ₹ 127.72 करोड़
ब) वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक संचालन योजना की शेष ₹ 4.80 करोड़ की शेष राशि
स) नग्गर वन उद्यान योजना के प्रति जारी ₹ 0.80 करोड़

11 प्राप्त राशि में यह भारी वृद्धि राष्ट्रीय निधि से प्राप्त राज्य निधि के पुराने बकाया के निपटान के बाद राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राशि को दर्शाती है।

12 वर्ष 2019-20 में बैंक के पास ₹ 91.31 करोड़ (₹ 41.05 करोड़ के अथ शेष सहित) राशि उपलब्ध थी, जिसमें एफडी/अव्ययित राशि आदि शामिल थी (1,660.72 + 91.31 = 1,752.03)। वर्ष 2019-20 के लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जा रहा है एवं ऊपर दर्शाए गए शेष का मिलान एवं लेखापरीक्षा की जानी है।

वर्ष	वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगी गई निधियां	राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना की राशि	अथ शेष	राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त राशि	कुल निधियां	जारी की गई व वन मण्डलों द्वारा उपयोग की गई निधियां	शेष निधियां (राज्य प्राधिकरण)
2020-21	158.39	158.39	1,660.72	0	1,768.22[13]	119.48	1,648.73
2021-22	138.10	138.10	1,648.73	0	1,702.89	94.77	1,608.12
योग	**853.79**	**831.71**		**2,046.86**		**661.98**	

स्त्रोत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य प्राधिकरण

जैसाकि **तालिका 2.2** से स्पष्ट है, राज्य प्राधिकरण के पास निधियों का बड़ा अधिशेष था जिसका उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण गतिविधियों के लिए किया जा सकता था, तथापि उसने अभी तक निधियों का उपयोग नहीं किया। स्थिति को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 68.16 प्रतिशत वैधानिक रूप से वर्गीकृत वन क्षेत्र के सापेक्ष वर्ष 2021 में वास्तविक वन-क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 27.73 प्रतिशत[14] था एवं इसके अतिरिक्त राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत[15] वन आवरण के अंतर्गत लाना है। राज्य के अत्यंत सघन वन क्षेत्र में भी एक दशक पूर्व की स्थिति से गिरावट आई है, जैसाकि **परिच्छेद 1.1** में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2 से प्रमाणित होता है कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से मांगे गए ₹ 853.79 करोड़ के प्रति राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा ₹ 831.71 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष वन मण्डलों को केवल ₹ 661.98 करोड़ (80 प्रतिशत) जारी की गई। इस प्रकार, राज्य प्राधिकरण प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों पर खर्च करने हेतु अनुमानित निधियों का उपयोग भी नहीं कर पाया। राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निधियों के कम उपयोग में ₹ 169.73 करोड़ की निधियों का कम उपयोग हुआ। यह परिचायक है कि प्रतिपूरक वनीकरण करने की गति वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तावित की गई गति के अनुसार नहीं थी।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की समग्र गतिविधियों में से प्रतिपूरक वनीकरण पर किए गए व्यय (विगत वर्षों में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण के रखरखाव सहित) का वर्ष-वार विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

---

13 आंकड़े में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए गए ₹ 107.49 करोड़ के ब्याज का समायोजन शामिल है।

14 स्रोत: भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021

15 हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग के उत्तर के अनुसार।

तालिका 2.3: वर्ष 2016-22 के दौरान वार्षिक संचालन योजनानुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों व किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का विवरण

वर्ष	अपवर्तित वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वार्षिक संचालन योजना के अनुसार अपेक्षित प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मांगी गई निधियां (₹ करोड़ में)	प्राप्त की गई निधियां (₹ करोड़ में)	वार्षिक संचालन योजना के अनुसार किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
2016-17	109.78	1,270	14.60	14.60	1,245.49	14.21[16]
2017-18	466.17	1,405	16.25	16.25	1,382.75	15.35
2018-19	739.44	873	11.00	11.00	581.69	9.67
2019-20	391.48	618.32	13.70	12.61	568.32	11.02
2020-21	397.68	974.89	21.50	21.50	876	14.63
2021-22	493.70	1,032	17	17	954.36	16.35
योग	**2,598.25**	**6,173.21**	**94.05**	**92.96**	**5,608.61**	**81.23**

स्त्रोत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य प्राधिकरण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम

तालिका 2.3 में दर्शाए गए प्रतिपूरक वनीकरण की वार्षिक संचालन योजना, राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई सकल वार्षिक संचालन योजना का भाग थी, जिसमें जलागम क्षेत्र शोधन योजनाएं, निवल वर्तमान मूल्य, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजनाएं व अन्य योजनाएं सम्मिलित थीं, जैसाकि **तालिका 2.2** में दिया गया है। यह स्पष्ट है कि लक्ष्यों के सापेक्ष प्रतिपूरक वनीकरण की उपलब्धि में कमी पाई गई। प्रतिपूरक वनीकरण की उपलब्धि में कमी के कारणों का विश्लेषण **अध्याय IV** में किया गया है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी[17], राज्य प्राधिकरण ने बताया कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि हेतु वार्षिक संचालन योजना को घटाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया एवं वर्ष 2019-20 हेतु निवल वर्तमान मूल्य के तहत वेतन घटक की मंजूरी नहीं मिलने के कारण वार्षिक संचालन योजना को घटाया गया था। राज्य प्राधिकरण ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में कम निधियां उपयोग करने का कोई कारण नहीं बताया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कोई धनराशि जारी नहीं की एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक खातों व बजट आवंटन से राज्य की समेकित निधि में धनराशि स्थानांतरित की गई एवं व्यय की मानक वस्तुओं के आवंटन में समय लगता है और बाद में धन को संबंधित व्यय की मानक वस्तुओं में पुनः विनियोजित करना पड़ा।

16 वर्ष 2016-17 से 2018-19 के व्यय के आंकड़े प्रमाणित वार्षिक लेखों पर आधारित हैं, जबकि वर्ष 2019-20 से 2021-22 हेतु यह लंबित वार्षिक लेखों के कारण विभाग के उत्तर पर आधारित है।

17 राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो मुख्य वन संरक्षण रैंक से नीचे का न हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अगस्त 2019 में राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध संपूर्ण निधियां (फरवरी 2019 तक) बकाया के रूप में राज्य कोष में स्थानांतरित कर दी गई; एवं अभी भी प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण की गतिविधियों पर निधियों के उपयोग में कमी थी।

2.3 वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता

वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य प्राधिकरण की कई अनियमितताएं देखी गईं, जिन पर आगे चर्चा की गई है।

2.3.1 राष्ट्रीय प्राधिकरण को ₹ 358.56 करोड़ की निधियों का प्रेषण जारी रखना

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3 (iii) के प्रावधानों के अनुसार राज्य कोष की स्थापना के पश्चात ऐसे राज्यों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र शोधन योजना या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार की निर्धारित शर्तों के अनुपालनार्थ दी गई धनराशि के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली गई समस्त धनराशि राज्य कोष में जमा करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य कोष के सृजन (फरवरी 2019) के बाद भी प्रयोक्ता एजेंसियों ने राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में निधियां जमा करना जारी रखा। अतः फरवरी 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 358.56 करोड़ की निधियां प्रयोक्ता एजेंसियों ने राज्य कोष के बजाय राष्ट्रीय प्राधिकरण के बैंक खाते में प्रेषित की, जैसाकि **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4 राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रेषित निधियों के विवरण

क्र. सं.	अवधि	राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रेषित राशि (₹ करोड़ में)
1	08/02/2019 से 31/03/2019	15.48
2	01/04/2019 से 31/03/2020	88.83
3	01/04/2020 से 31/03/2021	63.42
4	01/04/2021 से 31/03/2022	190.83
योग		**358.56**

स्रोत: नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम

विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि राज्य प्राधिकरण की खाता संचालन प्रक्रिया में अस्पष्टता के कारण जब तक एक मजबूत ऑनलाइन तंत्र विकसित नहीं हो जाता, राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुरक्षित खाते में प्रतिपूरक उद्ग्रहण जमा करने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रखी जा रही है।

जबकि तथ्य यह है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण के बैंक खाते में निधियों का उक्त प्रेषण प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

2.3.2 इको पार्क (पर्यावरण अनुकूल बगीचे)/नेचर पार्क (प्रकृति बगीचे) के विकास पर निवल वर्तमान निधि का अनियमित उपयोग

वर्ष 2019-20 व 2020-21 हेतु वार्षिक संचालन योजना क्रमशः वर्ष 2016 व वर्ष 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम एवं प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बनाई जानी थी। प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियमावली, 2018 के नियम 5 में प्रावधान है कि निवल वर्तमान मूल्य व दंडात्मक निवल वर्तमान मूल्य से प्राप्त धन का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन व वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे (वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु तैनात अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों हेतु वनों में आवासीय एवं शासकीय भवनों का निर्माण) के विकास, वन्यजीव संरक्षण व प्रबंधन, लकड़ी व अन्य वन उत्पाद बचत साधनों की आपूर्ति तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों में किया जाए। निवल वर्तमान मूल्य निधियों या अन्य राज्य कोष (जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं से एक प्रतिशत के अतिरिक्त) का नेचर पार्कों/इको पार्कों के विकासार्थ उपयोग करने का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान "अवक्रमित वन भूमि का विकास" घटक के अंतर्गत नेचर/इको पार्कों के विकास पर ₹ 6.51 करोड़ का व्यय किया गया, जैसाकि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: नेचर/इको पार्क के विकास पर हुए व्यय के विवरण

घटक	वर्ष	इको/नेचर पार्क की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)
अवक्रमित वन भूमि का विकास	2019-20	9	2.24
अवक्रमित वन भूमि का विकास	2020-21	16	4.27
योग		**25**	**6.51**

स्रोत: राज्य प्राधिकरण की वार्षिक संचालन योजना एवं तिमाही परियोजना रिपोर्ट

₹ 6.51 करोड़ का उपरोक्त व्यय अनियमित एवं प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था।

विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि यह व्यय अवक्रमित वन भूमि के विकास हेतु वृक्षारोपण व विभिन्न प्रकार के मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यों के कार्यान्वयन पर किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह व्यय अवक्रमित वन भूमि के विकास के बजाय 25 इको/नेचर पार्कों के विकास पर किया गया।

2.3.3 प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 6.26 करोड़ की वसूली गई निधियों के उपयोगार्थ वार्षिक संचालन योजना तैयार न करना

नोडल अधिकारी, राज्य प्राधिकरण की फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि (i) देहरा में हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के सैटेलाइट कैंपस की स्थापना हेतु निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में 81.7916 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन (दिसंबर 2018) एवं (ii) बिलासपुर में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माणार्थ अतिरिक्त जिलाधिकारी-सह-उप निदेशक, प्रशासन एम्स, बिलासपुर (प्रयोक्ता एजेंसी) के पक्ष में 40.5084 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन (मार्च 2019), नाम के दो मामलों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंतिम अनुमोदन देते समय प्रयोक्ता एजेंसी पर अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित की। इन अतिरिक्त शर्तों के सापेक्ष दोनों प्रयोक्ता एजेंसियों ने ₹ 6.26 करोड़ की निधियां जमा की, जैसाकि **तालिका 2.6** में विवर्णित है।

तालिका 2.6: प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गई निधियां

(₹ करोड़ में)

वन संरक्षण अधिनियम प्रस्ताव का नाम	प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा निधियां जमा करने की तिथि	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के विवरण	कार्य विवरण	कार्य लागत
केंद्रीय विश्वविद्यालय का सैटेलाइट कैंपस	06/11/2018	अपवर्तित क्षेत्र में हरित आवरण का रखरखाव एवं परियोजना लागत पर साइट-स्पेसिफिक मृदा व जल संरक्षण योजना का कार्यान्वयन।	साइट-स्पेसिफिक मृदा व जल संरक्षण	3.51
			हरित आवरण का रखरखाव	2.09
बिलासपुर में एम्स का निर्माण	06/02/2019	अपवर्तित वन क्षेत्र के भीतर अप्रयुक्त क्षेत्र का हरित आवरण के रूप में प्रबंधन, डंपिंग स्थलों का सुधार व रखरखाव (हरित आवरण के रूप में)।	साइट-स्पेसिफिक मृदा व जल संरक्षण	0.39
			सुधार-स्थल पर हरित आवरण	0.27
योग				**6.26**

स्रोत: नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित मंडलों द्वारा प्रस्तुत किसी भी वार्षिक संचालन योजना में इन कार्यों को शामिल नहीं किया गया, फिर भी प्रयोक्ता एजेंसियों ने इन कार्यों से संबंधित निधियां जमा की। परिणामस्वरूप राज्य प्राधिकरण के पास ₹ 6.26 करोड़ की सम्पूर्ण राशि बेकार (अव्ययित) रही। अतएव वार्षिक संचालन योजना में इन कार्यों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन में निर्धारित अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ। इस प्रकार यद्यपि विशिष्ट उपायों हेतु धन की मांग

की गई एवं उसे एकत्र भी किया गया, परन्तु धन प्राप्त होने के बावजूद कोई कार्य नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2023) कि उपरोक्त कार्य पहले की वार्षिक संचालन योजना में नहीं लिए थे। हालांकि वर्ष 2023-24 की वार्षिक संचालन योजना में केंद्रीय विश्वविद्यालय के सैटेलाइट परिसर के कार्य को लिया गया तथा बिलासपुर में एम्स के निर्माणार्थ वार्षिक संचालन योजना बनाने वाले सर्कल/मंडल को भविष्य की वार्षिक संचालन योजना में कार्य को शामिल करने के मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

2.3.4 लंबित वार्षिक लेखे

राज्य प्राधिकरण अधिसूचना के परिच्छेद 8 (जुलाई 2009) में निर्धारित है कि राज्य प्राधिकरण उचित रूप से लेखे एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख अनुरक्षित करें एवं संबंधित महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करें। इसके अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण महालेखाकार या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य प्राधिकरण के लेखाओं सहित उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन व वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रतिवर्ष अग्रेषित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश ने राज्य प्राधिकरण को केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू "लेखाओं के समरूप प्रारूप" के आधार पर उसके लेखे बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि स्वायत्त संगठनों हेतु निर्धारित लेखाओं का समरूप प्रारूप लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित था। संचालन समिति ने निर्णय लिया (अक्टूबर 2012) कि राज्य प्राधिकरण के लेखाओं का अनुरक्षण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 तक के लेखे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गए जबकि वर्ष 2019-20 से आगे के लेखे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु अभी भी लंबित हैं।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 की राज्य प्राधिकरण की वार्षिक वित्तीय विवरणियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वित्तीय विवरणों के अभाव में राज्य प्राधिकरण को प्राप्त व प्रयुक्त निधियों एवं उसकी वित्तीय स्थिति की सटीकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर चर्चा करते हुए (अगस्त 2019) लोक लेखा समिति ने बताया कि वार्षिक लेखे व वित्तीय विवरणियां समय पर तैयार न होने से राज्य प्राधिकरण के कामकाज की निगरानी नहीं की जा सकी। विभाग ने लोक लेखा समिति को यह भी सूचित किया (अगस्त 2019) कि लेखाओं को दोहरी प्रविष्टि में

परिवर्तित करने के लिए अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसके प्रचालन के पश्चात प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण लेखे समय पर तैयार किए जाएंगे। हालांकि यह पाया गया कि अभी भी राज्य प्राधिकरण के वार्षिक लेखे समय पर तैयार नहीं किए जा रहे थे और लेखाओं को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित करना अभी भी लंबित था (नवंबर 2023 तक)।

विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लेखाओं को लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है एवं इन वर्षों की वार्षिक वित्तीय विवरणियों को शीघ्र ही अंतिम रूप दे कर प्रमाणीकरण हेतु महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुत किया जाएगा। विभाग ने अगले उत्तर (दिसंबर 2023) में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित कर महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया था एवं महालेखाकार की अभ्युक्तियों का समायोजन किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2023)।

2.3.5 प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम/नियमों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करना

प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 28 में प्रावधान है कि राज्य प्राधिकरण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की उसकी गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुए उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यथा-निर्धारित प्रारूप व समय पर संबंधित राज्य सरकार को उसकी एक प्रति भेजेगा। राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रदान किया जाए-

(i) प्रत्येक पुनर्वनीकरण, वनीकरण व संरक्षण गतिविधि की संख्या एवं अवस्थिति;

(ii) गतिविधि के संबंध में मंजूर, संरक्षित एवं वृक्षारोपित हेक्टेयर भूमि की अवस्थिति एवं राशि; तथा

(iii) वनीकरण हेतु एकत्र व व्यय की गई धनराशि।

इसके अतिरिक्त धारा 29 में प्रावधान है कि राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ उसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन को रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधायिका के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य प्राधिकरण वर्ष 2015-16 से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने एवं उसे राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा, जो प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2023) कि वर्ष 2016-17 तक की वार्षिक रिपोर्टें राज्य विधायिका के समक्ष रखी जा चुकी हैं एवं वर्ष 2017-18 व 2018-19 की रिपोर्टें राज्य विधायिका के समक्ष रखने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी हैं।

2.4 निष्कर्ष

राज्य प्राधिकरण की बैठकें निर्धारित अंतराल पर आयोजित नहीं की गईं एवं प्राधिकरण वर्षीय संचालन योजना में प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण का कार्यान्वयन नहीं कर सका, जो प्रतिपूरक वनीकरण करने में बकाया के रूप में परिणत हुआ। दो वन संरक्षण अधिनियम मामलों को संबंधित मंडलों द्वारा वार्षिक संचालन योजना में शामिल न करने के परिणामस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त निधियों का उपयोग नहीं हुआ। राज्य कोष गठित होने के बावजूद प्रयोक्ता एजेंसियां निधियों का प्रेषण राष्ट्रीय प्राधिकरण के बैंक खाते में कर रही थी। नेचर/इको पार्क के विकास पर निवल वर्तमान मूल्य निधियों से अनियमित व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त वार्षिक लेखे व वार्षिक रिपोर्टें भी बकाया थीं।

2.5 सिफारिशें

विभाग विचार करें

- *राज्य प्राधिकरण की निर्धारित बैठकें आयोजित करें एवं निधियों का इष्टतम उपयोग व राज्य प्राधिकरण के अधीन कार्यों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक संचालन योजना तैयार करें।*
- *वार्षिक लेखाओं एवं रिपोर्टों को समय पर अंतिम रूप दें एवं प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम व नियमों के तहत निर्धारित अभिलेखों का अनुरक्षण करें।*